विज्ञापन संख्या 01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं 02/2021 प्रवक्ता सवंर्ग में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने वाले अवैतनिक तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों को तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करने हेतु अनुदेश

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16E(11) के अनुसार अस्थायी रूप से नियुक्त कतिपय तदर्थ शिक्षक जो वेतन नही प्राप्त कर रहे हैं और विज्ञापन संख्या 01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अथवा 02/2021 प्रवक्ता सवंर्ग में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में इसलिये आवेदन किया है क्योंकि तत्समय विज्ञापन में वेतन आहरण की सूचना भरना अनिवार्य था। ऐसे अभ्यर्थियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 827/2021 श्री चन्द्र ओझा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में प्राप्त आदेश दिनांक 18/08/2021 एवं 25/08/2021 के समादर में उनकी तदर्थ शिक्षक सम्बन्धी सूचनाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया है।

ऐसे अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिशा निर्देशों का भली–भांति अध्ययन करके, परीक्षा पोर्टल पर नियत तिथि 11.09.2021 से 15.09.2021 तक अपने तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करें ।

नोट (महत्वपूर्ण अनुदेश) :–

1. अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि बोर्ड द्वारा, केवल ऐसे आवेदक जो पूर्व में उनके पास वेतन भुगतान सम्बन्धी सूचनाएं न होने के कारण तदर्थ शिक्षक के रूप में आवेदन नहीं कर पाए और फ्रेश अभ्यर्थी की भाँति आवेदन कर दिए हैं, उन्हें ही अपनी तदर्थ शिक्षक सेवा सम्बन्धी सूचनाएँ दर्ज करने की अनुमति दी गयी है।
2. ऐसे अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक अपनी सूचनायें प्रदान करें। इस हेतु अभ्यर्थियों को मात्र एक अवसर देय होगा, एक बार सूचना दर्ज करने के उपरान्त उसमें अद्यतन नही किया जा सकेगा।
3. अभ्यर्थियों को केवल तदर्थ शिक्षक सेवा सम्बन्धी विवरण दर्ज करने की अनुमति है।
4. तदर्थ शिक्षक के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन भुगतान सम्बन्धी दिये गये अनुमोदन का विवरण (जैसे पत्र संख्या, पत्र दिनाँक तथा वेतन भुगतान होने का दिनाँक) वैकल्पिक तथा अन्य सभी सूचनाएं अनिवार्य है। तदर्थ शिक्षक के रूप में कुल अनुभव की गणना अभ्यर्थी के उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16E(11) के अनुसार अस्थायी रूप से तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य होगी।

11-09-2021

फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने वाले अवैतनिक तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों को तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करने हेतु हेतु प्रक्रिया

- अवैतनिक तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों को तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करने हेतु उन्हे सर्वप्रथम ई–परीक्षा पोर्टल (https://pariksha.up.nic.in/) पर जाकर **UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD, PRAYAGRAJ** के लिंक ''**Click here to submit Ad-hoc teacher service details under TGT-Examination 2021 and PGT-Examination 2021**" पर क्लिक करना होगा।

- तत्पश्चात् अभ्यर्थी को विज्ञापन 2021 में आवेदन किया हुआ पंजीकरण संख्या, उनकी जन्मतिथि, जेण्डर, डोमिसाइल आफ स्टेट, आवेदित आरक्षण श्रेणी का अंकन करते हुये कैप्चा की प्रविष्टि करनी होगी।

- प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नं0 पर अभ्यर्थी को 06 अंको की ओ.टी.पी. प्राप्त होगी।

- ओ.टी.पी. अंकित कर **"Verify OTP"** करने पर अभ्यर्थी को तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करने का पेज दिखाई देगा।

- अभ्यर्थी को इस पेज पर अपनी तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान कर सबमिट करना है।

- सबमिट करने से पूर्व पोर्टल द्वारा एक बार अभ्यर्थी को अपनी सूचनायें प्रिव्यू करने की सुविधा प्रदत्त है जिसके उपरान्त सूचनायें सबमिट कर लाक करनी होंगी।

- तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना एक बार दर्ज होने के उपरांत उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन सम्भव नहीं होगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह कृपया सावधानीपूर्वक सूचना भरें ।

- इस सम्बन्ध में किसी समस्या की दशा में समाधान हेतु हेल्पलाइन नं0 +91-8468007598 पर सम्पर्क कर सकते है।

11-09-2021

****